न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड म०प्र0

प्रकरण कमांक 06 / 2010 सत्रवाद संस्थित दिनांक 13-01-2010 मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र मालनपुर जिला भिण्ड म0प्र0 |

----अभियोजन

बनाम

- 1. बदनसिंह पुत्र महादेवसिंह उम्र 52 वर्ष।
- 2. नरेन्द्र सिंह पुत्र रामखिलाडी चौहान उम्र 24 वर्ष।
- 3. रामवरन पुत्र बदनसिंह चौहान उम्र 24 वर्ष।
- 4. उदयबीरसिंह पुत्र श्रीकिशन सिंह चौहान उम्र 36 वर्ष।
- रामखिलाडी सिंह पुत्र कृपाराम सिंह चौहान उम्र
 वर्ष।
- 6. श्रीकिशनसिंह चौहान पुत्र परसराम सिंह चौहान उम्र 60 वर्ष। समस्त निवासी ग्राम तुकेडा थाना मालनपुर जिला भिण्ड म0प्र0।

......अभियुक्तगण

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री मनीष शर्मा के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र०क०. 995/2009 इ०फौ० से उदभूत यह सत्र प्रकरण क० ०६/2010

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर। अभियुक्तगण द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।

//निर्णय//

//आज दिनांक 11-05-2015 को घोषित किया गया//

01. आरोपी बदनसिंह का विचारण धारा 147, 148, 307 बिकल्प में धारा 307 / 149, 294 भा0दं0वि0 एवं धारा 25(1—बी)ए आयुध अधिनियम के अपराध के संबंध में किया जा रहा है, जबिक अन्य आरोपीगण का विचारण धारा 147, 148, 307 बिकल्प में धारा 307 / 149, 294 भा0दं0वि0 के अपराध के संबंध में किया जा रहा है। आरोपीगण पर आरोप है कि दिनांक

23.08.2009 को दो बजे दिन ग्राम तुकेडा के हार थाना मालनपुर में जगदीश तोमर के खेत में विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर उसके सदस्य रहते हुए जिसका सामान्य उद्देश्य आहत नरसिंह व अन्य पर बल प्रयोग कर बलवा कारित करने का था इस दौरान बल प्रयोग करते हुए बलवा कारित किया। उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर आकामक आयुध बंदूक, बल्लम, कुल्हाडी, धारिया एवं लुहांगी से सुसज्जित होकर बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया। आरोपीगण पर यह भी आरोप है कि आहत नरसिंह को जान से मारने के आशय या ज्ञान से या ऐसी परिस्थिति में यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आप आरोपी हत्या के दोषी होते इस दौरान घातक आयुधों धारिया, कुल्हाडी, बल्लम, लुहांगी से आहत के मार्मिक अंग सिर व अन्य अंगों में चोटें पहुँचाकर उपहित कारित की। बैकल्पिक रूप से उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर नरसिंह को जान से मारने के उद्देश्य से उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए शासय या जानबूझकर या ऐसी परिस्थितियों में यदि नरसिंह की मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के दोषी होते और इस दौरान घातक आयुधों से आहत को मार्मिक अंगों पर चोटें पहुँचाकर उपहति कारित की। आरोपीगण पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर आहत नरसिंह को सार्वजनिक स्थान या उसके निकट अश्लील गाली गलोज कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया। आरोपी बदनसिंह पर यह भी आरोप है कि दिनांक 27.08.09 को अपने आधिपत्य में एक 12 बोर की बंदूक और एक जिंदा कारतूस बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखे हुए पाया गया।

03. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि दिनांक 23.08.2009 को दिन के करीब दो बजे रिपोर्टकर्ता गुड्डू उर्फ निरेन्द्र का भाई आहत नरसिंह सुबह बकरी चराने के लिए हार में गया था और श्रीकिशन चौहान जिससे कि उनका जमीनी विवाद चल रहा है, आरोपी श्रीकिशन अन्य सहआरोपीगण के साथ इसी पुरानी रंजिश से घटनास्थल पर आए और आरोपी श्रीकिशन खाली हाथ था, बदनसिंह 12 बोर बंदूक, रामवरन धारिया, नरेन्द्रसिंह बल्लम, रामखिलाडी कुल्हाडी, उदयबीरसिंह लुहांगी लाठी लिए हुए एकराय होकर आए और नरसिंह को अश्लील गाली गलोज करते हुए बोले कि आज तुमको जमीन दिए देते है और यह कहकर नरसिंह को जान से मारने के उद्देश्य से रामवरन ने धारिया सिर में मारा जो कि चोट लगकर खून निकल आया और वह गैरहोश होकर गिर पडा, आरोपी नरेन्द्र ने बल्लम मारी जो दाहिने पैर के घुटने पर नीचे दो जगह लगी, उदयबीर ने लुहांगी लाठी से मारा जो दाहिने हाथ के पंजे में लगी, रामखिलाडी ने दो बार कुल्हाडी मारी जो उसके सिर एवं दाढी में वाई तरफ लगी। घटनास्थल के पास ही रिपोर्टकर्ता एवं उसकी माँ आताबाई

और भाई सोनू तथा गाँव के भगवानसिंह तोमर बैठे थे उन्होंने बीच बचाव किया। इस दौरान बदनसिंह ने बंदूक से हवाई फायर किया फिर रिपोर्टकर्ता के द्वारा गाँव से टैक्टर लाया जाकर टैक्टर में अपने भाई नरसिंह को जो कि गैरहोश हालत में था तुकेडा मोड तक लाया गया जहाँ कि पुलिस पहुँच गई थी। पुलिस थाना मालनपुर के द्वारा देहातीनालसी रिपोर्ट 0/09 धारा 147, 148, 149, 307, 294 भाँ०दं०वि० की लेखबद्ध की गई जिस पर से थाना में अपराध कमांक 126 / 09 असल रिपोर्ट कायम की गई। आहत नरसिंह जिसे कि शरीर में काफी चोटें थे उसे जे.ए.एच. हॉस्पीटल ग्वालियर ले जाया गया जहाँ उसका चिकित्सीय परीक्षण एवं एक्सरे कराया गया, उसका इलाज नीरोलॉजी विभाग जे०ए०एच० ग्वालियर में कराया गया। प्रकरण की विवेचना आगे की गई। विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। आरोपी नरेन्द्रसिंह के मेमोरेडम कथन के आधार पर एक बल्लम, आरोपी रामवरन से धारिया, आरोपी उदयवीर से लुहांगी लाठी, रामखिलाडी से लोहे की कुल्हाडी की जप्ती की गई, आरोपी बदनसिंह के मेमोरेडम कथन के आधार पर दिनांक 27.08.09 को एक 12 बोर की बंदूक एक जिंदा कारतूस, एक खाली खोखा तथा एक लाइसेंस दीमापुर नागालैण्ड का बना हुआ जप्ती पत्रक प्र.पी. 12 के अनुसार जप्त किया गया। आहत के कपड़ों की जप्ती की गई, जप्तश्रदा वस्तुओं को परीक्षण हेतु एफ एस एल भेजा गया, घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गए। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि कमिट उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

- 04. विचारित किए जा रहे आरोपी बदनसिंह के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 147, 148, 307 बिकल्प में धारा 307/149, 294 भा०दं०वि० एवं धारा 25(1—बी)ए आयुध अधिनियम एवं शेष आरोपीगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 147, 148, 307 बिकल्प में धारा 307/149, 294 भा०दं०वि० का अरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई।
- 05. दंड प्रिकृया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में आरोपीगण ने स्वयं को निर्दोश होना बताते हुए पुरानी रंजिश एवं जमीनी विवाद होने से उन्हें झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया है। बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।
- 06. आरोपी के विरूद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:--
 - 1. क्या दिनांक 23.08.2009 को दिन के दो बजे तुकेडा हार थाना मालनपुर में

आरोपीगण के द्वारा विधि विरूद्ध जमाव का गठन किया जिसका सामान्य उद्देश्य नरसिंह व अन्य पर बल व हिंसा का था उसके सदस्य रहते हुए बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया?

- 2. क्या उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर आरोपीगण के द्वारा घातक एवं आक्रामक आयुधों से सुसज्जित होकर बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया?
- 3. क्या उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर आरोपीगण या किन्हीं आरोपी के द्वारा आहत नरिसंह को जान से मारने के आशय से इस ज्ञान एवं ऐसी परिस्थितियों में कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के दोषी हो जाते और इस दौरान घातक आयुधों धारिया, कुल्हाडी, बल्लम से मारपीट कर उसे उपहित कारित की?

बिकल्प में

- 4. क्या आरोपीगण के द्वारा आहत नरिसंह को जान से मारने का सामान्य उद्देश्य गठित कर उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए साशय या जानबूझकर ऐसी परिस्थितियों में यदि नरिसंह की हत्या हो जाती तो आप हत्या के दोषी हो जाते नरिसंह घातक आयुधों से उसके मार्मिक अंगों सिर पर चोट पहुँचाकर उपहित कारित की?
- 5. क्या आरोपीगण के द्वारा आहत नरसिंह को सार्वजनिक स्थान या उसके निकट अश्लील गाली गलोज कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया?
- 6. क्या दिनांक 27.08.09 को आरोपी बदनसिंह अपने आधिपत्य में एक 12 बोर की बंदूक और एक जिंदा कारतूस बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखे हुए पाया गया?

-: निष्कर्ष के आधार :-

बिन्दु क्रमांक 5 :-

07. अभियोजन प्रकरण के अनुसार घटना दिनांक को आरोपीगण के द्वारा आहत नरसिंह को माँ बहन की अश्लील गाली गलोज की गई जिससे उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ। इस बिन्दु पर अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण जिसमें घटना का आहत नरसिंह अ0सा0 1, घटनास्थल पर बताए गए अन्य साक्षी घटना का रिपोर्टकर्ता गुड्डू उर्फ नरेन्द्र अ0सा0 3, आताबाई अ0सा0 2 तथा भगवानसिंह अ0सा0 4 के कथनों में कहीं भी अश्लील शब्द उच्चारित किये जाने के संबंध में कोई भी कथन नहीं आया है। ऐसी दशा में

जबिक इस बिन्दु पर अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों में कोई साक्ष्य नहीं आई है, वर्तमान बिन्दु प्रमाणित नहीं होता है।

बिन्दु क्रमांक 1 लगायत ४:-

- 08. अभियोजन प्रकरण के अनुसार घटना दिनांक को घटनास्थल पर आरोपीगण जो कि संख्या में 6 थे, पुरानी रंजिश को लेकर खेत जहाँ पर आहत नरसिंह बकरियाँ चरा रहा था आए और इस दौरान आरोपीगण घातक आयुधों बंदूक, बल्लम, धारिया, लुहांगी लाठी और कुल्हाडी से सुसज्जित थे और उनके द्वारा आहत नरसिंह के साथ विवाद कर उसके साथ हिंसा और बल का प्रयोग किया तथा नरसिंह को जान से मारने की नियत से उसे उपहित कारित की।
- 09. उपरोक्त संबंध में डॉ० आर.एल.एस. सेंगर अ०सा० 7 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया गया है कि दिनांक 23.08.09 को जे.ए.एच. हॉस्पीटल में नीरोलॉजी विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत था। उक्त दिनांक को आहत नरसिंह केजुअल्टी से उनके विभाग नीरोलॉजी के लिए रिफर किया गया था। उक्त आहत के सिर में एक घॉव था और कई जगह छिले हुए थे। आहत ने झगडे में चोटें आना बताया था। आहत को उनके अधीनस्थ डॉक्टर के द्वारा भी देखा गया था जो कि नोट्स 24 अगस्त से 28 अगस्त तक बेडहेड टिकिट में संलग्न है। उक्त मरीज का केटस्केन परीक्षण भी कराया गया था जिसके अनुसार उसके लेप्ट पेराइटल हड्डी में फ्रेक्चर होना पाया गया था, उसके द्वारा सिर में दर्द होना भी बताया गया था जिसके लिए उन्होंने परामर्श भी दिया था। प्र.पी. 23 के पर्च पर ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर है तथा डिस्चार्ज टिकिट प्र.पी. 24 पर उनकी शील लगी हुई है।
- 10. इस प्रकार डॉक्टर आर.एल.एस. सेंगर अ०सा० 7 के कथन से यह स्पष्ट होता है कि घटना के उपरांत आहत नरसिंह के शरीर पर चोटें थी और उसके सिर में घाँव था तथा सिर के एक्सरे परीक्षण कराने पर पेराइटल हड्डी में अस्थिभंग होना भी पाया गया था। अब विचारणीय यह हो जाता है कि क्या आहत नरसिंह के शरीर पर चोटें आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा ही पहुँचाई गई?
- 11. घटना का आहत नरसिंह अ०सा० 1 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया गया है कि करीब पांच साल पहले की बात है, वह जगदीश के खेत ग्राम तुकेडा में बकरी चरा रहा था उसी दौरान 5–6 लोग भागते हुए देखे और वह उनको देखकर भागा, वे लोग उसके पीछे दौडे और उन्होंने उसकी लाठी, कुल्हाडी से मारपीट की, उसके बाद वह वेहोश हो गया था, उसे ग्वालियर अस्पताल में होश आया था। मारने वालों को वह पहिचान नही सका। साक्षी

के द्वारा अभियोजन प्रकरण का समर्थन न करने के कारण अभियोजन के द्वारा उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है और सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए है, किन्तु सूचक प्रश्नों के दौरान भी उसके कथनों में अभियोजन प्रकरण जिसमें कि आरोपीगण के घटनास्थल पर मौजूदगी अथवा उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई घटना कारित किए जाने का कोई समर्थन नहीं होता है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी के द्वारा स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर उसने आरोपीगण को मौजूद होते नहीं देखा था और आरोपीगण के द्वारा उसके साथ कोई मारपीट की घटना नहीं की गई।

- अभियोजन प्रकरण के संबंध में अन्य अभियोजन साक्षी गुड्डू उर्फ नरेन्द्र 12. अ०सा० 3 जिसके द्वारा कि घटना की सूचना थाने में दी गई है के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में यह बताया गया है कि उसके भाई नरसिंह 2-3 खेत दूरी पर बकरी चरा रहा था उसके मॉ आता बाई खाना लेकर खेत पर आई थी और उसका माई सोनू भी खेत पर बैठा हुआ था, तभी 5-6 लोग आते हुए दिखे उन्हें देखकर वह व उसका भाई व मॉ एक तरफ भागे और नरसिंह दूसरी तरफ भागा। चार पांच लोगों ने नरसिंह के साथ मारपीट कर दी। साक्षी के द्व ारा उन लोगों को जो लोग मारपीट करने आए थे उन्हें अज्ञात होना बताया है। उसने अपने भाई नरसिंह को जाकर देखा तो उसे चोट आई थी फिर उसे टैक्टर में मालनपुर थाने ले जा रहे थे तो रास्ते में पुलिस आ गई थी और उसे पुलिस की गाडी से सीधे अस्पताल ले गए थे। देहाती नालसी प्र.पी. 4 पर उसका अंगूठा निशान लगाया गया था। उक्त साक्षी के द्वारा बताया गया है कि उसके साथ रामसिंह भदौरिया एवं अन्य लोग थे उन्होंने रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस को थाने पर भाई नरसिंह के खून आलूदा कपडे पेंट शर्ट की जप्ती कर जप्ती पत्रक प्र. पी. 13 बनाया था। इसी प्रकार उक्त साक्षी जिसके द्वारा कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है के कथन में भी कहीं भी आरोपीगण की घटनास्थल पर मौजूदगी अथवा उनके द्वारा घटना कारित किये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं आई है। उक्त साक्षी को भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए है, किन्तु इस दौरान भी उनके कथनों में उपरौक्त बिन्दुओं पर अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं होता है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि आरोपीगण घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। ध ाटनास्थल पर अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उसके भाई नरसिंह की मारपीट की गई थी जिनको कि वह पहिचान नहीं पाया था।
- 13. इस संबंध में घटनास्थल पर मौजूद अन्य साक्षिया आताबाई अ0सा0 2 जो कि आहत की माँ है के द्वारा घटनास्थल पर आरोपीगण की मौजूदगी अथवा आरोपीगण के द्वारा ही घटना कारित किये जाने का कोई समर्थन नहीं किया गया है तथा साक्षी भगवानिसंह

अ0सा0 4, साक्षी सोनू अ0सा0 8 एवं साक्षी जितेन्द्र अ0सा0 5 जो कि घटनास्थल पर मौजूद होना बताया गया है। उक्त साक्षीगण के द्वारा अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है। उक्त साक्षीगण को भी अभियोजन प्रकरण के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए है, किन्तु सूचक प्रश्नों के दौरान भी उनके कथनों में अभियोजन प्रकरण को समर्थन या पुष्ट करने बावत् कोई साक्ष्य नहीं आई है।

घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट जो कि देहातीनालसी रिपोर्ट तत्कालीन थाना 14. प्रभारी मालनपुर आत्माराम शर्मा अ०सा० 10 के द्वारा लेखबद्ध किया जाना बताया जा रहा है। उक्त रिपोर्ट का जहाँ तक प्रश्न है, प्रथम सूचना रिपोर्ट में यद्यपि आरोपीगण के नाम का उल्लेख आया है और उनके द्वारा घटना कारित करने के संबंध में भी उल्लेख आया है, किन्त् प्रथम सूचना रिपोर्ट कोई सारवान साक्ष्य नहीं होती है एवं उसके आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं मानी जा सकती है। इसे अतिरिक्त आरोपीगण के मेमोरेडम कथन के आधार पर हथियारों की जप्ती का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में विवेचना अधिकारी के द्वारा यह बताया गया है कि आरोपी नरेन्द्र सिंह के मेमोरेडम कथन प्र.पी. 6 के आधार पर उसके पेश करने पर एक बल्लम की जप्ती, जप्ती पत्रक प्र.पी. 7 के अनुसार की गई थी। आरोपी रामवरन के मेमोरेडम कथन प्र.पी. 9 के आधार पर धारिया की जप्ती जप्ती पत्रक प्र.पी. 10 के अनुसार की गई थी। आरोपी उदयवीर सिंह के मेमोरेडम कथन प्र.पी. 28 के आधार पर लुहांगी लाठी प्र.पी. 14 के जप्ती पत्रक के अनुसार जप्ती की थी तथा आरोपी रामखिलाडी के मेमोरेडम कथन प्र.पी. 29 के आधार पर एक लोहे की कुल्हाडी प्र.पी. 15 के अनुसार जप्त की थी तथा आरोपी बदनसिंह की सूचना के आधार पर एक बारह बोर की बंदूक, एक कारतूस और एक खाली कारतूस लाइसेंस सहित जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 12 बनाया था। घटना स्थल से खून आलूदा मिट्टी एवं सादी मिट्टी जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 19 बनाया था। फरियादी गुड्डू उर्फ नरेन्द्र के द्वारा पेश करने पर आहत नरसिंह के खून आलूदा पेंट शर्ट और साफी जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 13 बनाया था जिस पर उनके हस्ताक्षर है। जप्तशुदा वस्तुओं को जॉच हेतु राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था।

15. जहाँ तक आरोपी नरेन्द्र के मेमोरेडम कथन के आधार पर उसके आधिपत्य से बल्लम, रामवरन के आधिपत्य से लोहे का धारिया, आरोपी उदयवीर से लुहांगी एवं रामखिलाड़ी से लोहे की कुल्हाड़ी की जप्ती का जहाँ तक प्रश्न है, जप्तीकर्ता अधिाकरी के द्वारा बताई गई उपरोक्त जप्ती का समर्थन किसी भी अन्य स्वतंत्र साक्षी के कथन से नहीं होता है। इस बिन्दु पर जप्ती के साक्षी गुड़डू उर्फ नरेन्द्र अ०सा० 3 के द्वारा उपरोक्त जप्ती की कार्यवाही का कोई समर्थन नहीं किया गया है तथा जप्ती के अन्य साक्षियों को अभियोजन के द्वारा पेश नहीं

किया गया है। ऐसी दशा में जप्ती की कार्यवाही भी स्वतंत्र साक्षी के कथनों से सम्पुष्ट न होने से प्रमाणित नहीं है।

- 16. यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि उपरोक्त आरोपीगण से उपरोक्त बताए गए हथियारों की जप्ती हुई है तो भी इस संबंध में उपरोक्त जप्तशुदा बताई गई वस्तुएं कुल्हाडी, लुहांगी, बल्लम और धारिया जो कि परीक्षण हेतु न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजे गई है उनमें किसी प्रकार का कोई मानव रक्त के निशान होना भी नहीं पाया गया है और नहीं कोई भी प्रमाण आया है कि उक्त हथियारों पर आहत नरसिंह के रक्त की प्रजाति का कोई रक्त मौजूद था। इस प्रकार उक्त आधार पर भी अभियोजन प्रकरण की सम्पुष्टि नहीं होती है। इसके अतिरिक्त एफ.एस.एल रिपोर्ट में खून आलूदा मिट्टी में मानव प्रजाति का खून पाया जाने तथा जप्तशुदा 12बोर की बंदूक एवं कारतूस के परीक्षण में बंदूक को चालू हालत में पाए जाने तथा कारतूस को बंदूक से फायर किया जा सकने के आधार पर भी अभियोजन प्रकरण की कोई सम्पुष्टि होनी नहीं पाई जाती है।
- 17. इस प्रकार जबिक घटना के आहत के द्वारा आरोपीगण के घटना में मौजूद होने अथवा उनके द्वारा कोई घटना कारित किये जाने के संबंध में अपने साक्ष्य कथन में कोई बात नहीं बताई है तथा घटना के संबंध में मौजूद बताए गए अन्य चक्षुदर्शी साक्षियों के कथनों में भी आरोपीगण या किसी आरोपी के घटनास्थल पर मौजूदगी अथवा उनके द्वारा कोई घटना कारित किये जाने का तथ्य नहीं आया है। ऐसी दशा में घटना दिनांक को आरोपीगण के द्वारा विधि विरूद्ध जमाव का गठन किया जाना और उसके सदस्य रहते हुए बल एवं हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किये जाने अथवा आरोपीगण के द्वारा आकामक आयुधों से सुसज्जित होकर बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया जाना अथवा आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा आहत नरसिंह को जान से मारने के आशय से उस पर हमला कर उसे उपहित कारित किया जाना अथवा आरोपीगण के द्वारा आहत नरसिंह को मारपीट करने का सामान्य उद्देश्य गठित कर उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए उसे जान से मारने का प्रयास किया जाना और इस दौरान उसे उपहित कारित किये जाने के संबंध में अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं होती है।

बिन्दू क्रमाक 6:-

18. अभियोजन के द्वारा आरोपी बदनसिंह के आधिपत्य से एक 12 बोर की दोनाली बंदूक, एक जिंदा राउण्ड तथा एक खाली खोखा और एक लाइसेंस जो कि दीमापुर नागालैण्ड का बना हुआ जप्त किया जाना बताया गया है। इस संबंध में जप्तीकर्ता अधिकारी आत्माराम

शर्मा अ0सा0 10 ने अपने साक्ष्य कथन में आरोपी बदनसिंह के मेमोरेडम कथन प्र.पी. 11 के आधार पर उक्त 12 बोर की बंदूक एक जिंदा कारतूस और खाली खोखा व लाइसेंस जपत कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 12 तैयार करना बताया है। उक्त जप्ती की कार्यवाही के संबंध में अभियोजन साक्षी गुड्डू उर्फ नरेन्द्र अ०सा० ३ तथा साक्षी भगवानसिंह अ०सा० ४ के द्वारा जप्ती का कोई समर्थन नहीं किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त बताई गई जप्ती जो कि आरोपी बदनसिंह के मेमोरेडम कथन के आधार पर की जप्ती की कार्यवाही की जानी विवेचना अधिकारी के द्वारा बताई जा रही है। इस प्रकार की जप्ती की कार्यवाही किसी भी स्वंतत्र साक्षी के कथन से सम्पुष्ट नहीं है। जप्तीकर्ता अधिकारी आत्माराम शर्मा अ०सा० 10 के प्रतिपरीक्षण का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में उन्हें सुझाव दिया गया है कि बंदूक बदनसिंह के द्वारा स्वयं थाने पर पेश की गई थी जिसे उन्होंने गलत बताया गया है तथा इस बात को स्वीकार किया है कि जो बंदूक वह जप्त करना बता रहे है उसका लाइसेंस बदनसिंह के पास था और स्वतः में कहा है कि उसका रिनूबल दिनांक 31.12.2008 था जो कि निकल चुका था। इस प्रकार जप्तीकर्ता अधिकारी के जप्ती के संबंध में किये गए कथनों की सम्पुष्टि किसी भी स्वतंत्र साक्षी के कथनों से नहीं होती है तथा मात्र जप्तीकर्ता अधिकारी के कथन से उक्त कार्यवाही आरोपी के मेमोरेडम के आधार पर भी की जानी युक्तियुक्त रूप से प्रमाणित नहीं होती है।

19. यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि आरोपी बदनसिंह से बंदूक जप्त की भी गई है तो भी इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि आरोपी बदनसिंह के संबंध में उसके आधिपत्य में अवैध रूप से अग्नये शस्त्र रखे जाने हेतु अभियोजन चलाए जाने बावत् कोई भी अभियोजन स्वीकृति नहीं ली गई है, जबिक धारा 25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन चलाए जाने हेतु अभियोजन स्वीकृति लिया जाना आवश्यक तत्व है। इस संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा वियजशंकर शर्मा अ०सा० 9 आर्म्स शाखा के क्लर्क का कथन कराया गया है जिन्होंने अपने साक्ष्य कथन में केवल यह बताया है कि बदनसिंह के नाम का लाइसेंस जो कि दीमापुर नागालैण्ड से जारी होना बताया जा रहा है, इस संबंध में जानकारी चाही गई थी, किन्तु लाइसेंस संबंधी सत्यापन न आने से दर्ज नहीं हुआ था। किन्तु मात्र इस आधार पर कि नागालैंण्ड से कोई जानकारी भिण्ड आर्म्स शाखा को प्राप्त नहीं हुई थी आरोपी बदनसिंह के विरूद्ध आयुध अधिनियम के अंतर्गत अवैध अग्नेय शस्त्र रखने बावत् प्रकरण की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं मानी जा सकती। ऐसी स्थिति में जबिक अग्नेय शस्त्र की जप्ती का तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं है एवं उसके अतिरिक्त आयुध अधिनियम के अंतर्गत अवैध रूप से लाइसेंस के बिना हथियार रखे जाने बावत् अभियोजन चलाए जाने बावत् कोई

भी स्वीकृति नहीं ली गई है। मात्र इस आधार पर कि उक्त जप्तशुदा बताए गए हथियार को परीक्षण में चलने योग्य पाया गया है आरोपी के विरूद्ध उस संबंध में अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं मानी जा सकती।

- 20. उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के उपरांत प्रकरण में आई हुई अभियोजन साक्ष्य के आधार पर घटना दिनांक को आरोपीगण के द्वारा विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य रहते हुए बलवा कारित करना अथवा घातक आयुधों से सुसज्जित होकर बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किए जाने अथवा आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा आहत नरसिंह को जान से मारने के आशय से उसे उपहित कारित किए जाना अथवा इस संबंध में आरोपीगण के द्वारा सामान्य आशय का गठन कर उसके अग्रसरण में उक्त कृत्य किया जाना अथवा आरोपीगण के द्वारा फरियादी को सार्वजिनक स्थान पर अश्लील गाली गलोज कर क्षोभ कारित किया तथा आरोपी बदनसिंह के विरुद्ध उक्त आरोपों के अतिरिक्त अपने आधिपत्य में वैध अनुज्ञप्ति के बना बंदूक एवं कारतूस रखे होने के संबंध में अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं पाई जाती।
- 21. अतः अभियोजन प्रकरण को प्रमाणित होन न पाते हुए आरोपी बदनसिंह को धारा 147, 148, 307 बिकल्प में धारा 307/149, 294 भा0दं0वि0 एवं धारा 25(1—बी)ए आयुध अधिनियम के आरोप से एवं शेष आरोपीगण को धारा 147, 148, 307 बिकल्प में धारा 307/149, 294 भा0दं0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 22. प्रकरण में जप्तशुदा लोहे की कुल्हाडी, लुहांगी, धारिया और बल्लम एवं खाली कारतूस का खोखा मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जाए। जप्तशुदा 12बोर की दोनाली बंदूक के संबंध में जो कि आरोपी बदनसिंह की लाइसेंसी बंदूक होनी बताई गई है। इस संबंध में उसकी ओर से वैध एवं प्रभावी लाइसेंस पेश होने पर जप्तशुदा बताए गई बंदूक एवं एक कारतूस अपील अवधि पश्चात् बापस की जाए। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड (डी०सी०थपलियाल) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड